

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 1 JAN 2018

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	रेणु कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सीकर	राजस्थान न्यायिक सेवा (आर.जे.एस.) परीक्षा 2017
2.	प्रियंका राठौड कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चुरू	राजस्थान न्यायिक परीक्षा, 2017
3.	सुरेश कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़	राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा, 2017
4.	ओम प्रकाश विश्वाकर्ष कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्टर कार्यालय सिरौही	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा 2017
5.	हेमन्त कुमारी कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय सहायक कलेक्टर (याचिका) श्रीगंगानगर	सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017
6.	अनिल कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय उपक्रम विभाग, सचिवालय जयपुर।	सिविल न्यायाधीश प्रतियोगी परीक्षा, 2017
7.	बाबूलाल मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	Assistant Legislative Counsel (Gr.-IV of Indian Legal Service) पद के साक्षात्कार हेतु।
8.	हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर	सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2017
9.	पूनम कुमारी गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	R.J.S. Pre-Exam 2017-18
10.	राजूसिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा 2017
11.	रामेश्वर सिंह लखावत, कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2017

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव